न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढवाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 1001 / 2022

अनवान : –

1. भूप सिंह पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी मेघाना तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 16/08/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता स0 41 / 41 की कुल 31.8690हैक्ट भूमि में से 1661 / 10623 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में वादी का जगदीश पुत्र मघाराम दर्ज है जो की सहवन से दर्ज हुआ है वादी का सही व वास्तविक नाम भूप सिंह पुत्र मघाराम है राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम मे भिन्नता होने के कारण वादी के खातेदारी हको का हनन हो रहा है। वादी को घर में लाड व प्यार से जगदीश व भूप के नाम से पुकारा जाता था इसलिए राजस्व रिकार्ड में जगदीश दर्ज हो गया।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी का नाम सही दुरूस्त कर देवे तो कुछ दिन तो आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी स0 1 द्वारा जवाब पेश किया गया की राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम जगदीश उर्फ भूपसिंह किया जाना उचित है। वादी ने बैंयनामा व शपथ पत्र बाबत नाम पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस में अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व रिकार्ड में जगदीश पुत्र मघाराम दर्ज है जो की सहवन से दर्ज हुआ है वादी का सही व वास्तविक नाम भूप सिंह पुत्र मघाराम है राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम मे भिन्नता होने के कारण वादी के खातेदारी हको का हनन हो रहा है। अतः वाद वादी डिक्री किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:23:26 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता स0 41 / 41 की कुल 31.8690हैक्ट भूमि में से 1661 / 10623 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम जगदीश पुत्र मघाराम दर्ज है जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में भूपसिंह पुत्र मघाराम दर्ज है। तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट भी इस आशय की प्रेषित की गई है कि वादी का नाम जगदीश के स्थान पर जगदीश उर्फ भूपसिंह किया जाना उचित है। अतः वाद वादी तहसीदार रिपोर्ट एवं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी तहसीलदार की रिपोर्ट एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता स0 41/41 की कुल 31.8690हैक्ट भूमि में से 1661/10623 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में **वादी का नाम जगदीश पुत्र मघाराम के स्थान पर जगदीश उर्फ भूप सिंह पुत्र मघाराम के अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है।** यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच जगदीश पुत्र मघाराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का जगदीश पुत्र मघाराम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम जगदीश पुत्र मघाराम नाम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16/08/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:23:26 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 1001/2022
अनवान : –

1. भूप सिंह पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी मेघाना तहसील नोहर।

–वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0
अधि0 1955 प्र0स0 1001 वर्ष 2022 निर्णय दिनांक 16/08/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी तहसीलदार की रिपोर्ट एवं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता स0 41/41 की कुल 31.8690हैक्ट भूमि में से 1661/10623 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में **वादी का नाम जगदीश पुत्र मघाराम के स्थान पर जगदीश उर्फ भूप सिंह पुत्र मघाराम के अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है।** यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच जगदीश पुत्र मघाराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का जगदीश पुत्र मघाराम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम जगदीश पुत्र मघाराम नाम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा।

यह पर्चा डिक्री आज दिनाक 16/8/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:23:26 IST
Reason: SelfAttested